रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916
No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

सा.का.नि. 349(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 155"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1994

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1994 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से स्तंभ (11) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो उन स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के

प्रशासन से संबंधित स्तर की ऊंचा उठाने और "विशेष समस्याओं" के लिये कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी की प्रकृति के व्यय के लिये हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिये

राज्य	पुलिस	शिक्षा	जेल	जनजाति स्वास्थ्य	न्यायिक	जिला और राजस्व	खजाना और लेखा	प्रशिक्षण	विशेष समस्याएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(रुपये लाखों में)	
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.43
असम	—	106.20	—	—	3.75	—	—	—	15.35	—
गोवा	—	—	(–)17.50	—	—	(–)0.82	(–)8.09	—	—	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(–)213.02
मणिपुर	—	—	(–)18.26	—	—	—	—	—	—	18.84
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1605.08
त्रिपुरा	(–)2.23	(–)9.83	(–)1.41	(–)1.47	(–)6.27	(–)0.19	—	—	—	—

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सैक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम 1 अप्रैल, 1994 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत वास्तविक व्यय मद समायोजन के अधीन रहते हुए है;

(2) 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1990 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियां के अतिरिक्त होंगी।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति,
[फा.सं. 19(2)/94-वि.-1]
के.एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

G.S.R. 349 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 155"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1994

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1994.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1993, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature on programmes for upgradation of standards and "Special Problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns :—

TABLE

For upgradation of standards relating to

State	Police	Education	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and Revenue	Treasury and accounts	Training	Special Problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										(Rupees in lakhs)
Arunachal Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24.43
Assam	—	106.20	..	..	3.75	..	..	..	15.35	..
Goa	..	..	(-)7.50	..	..	(-)0.82	(-)8.09	..	..	..
Haryana	..	..	...	..	..	...	..	..	..	(-)213.02
Manipur	..	..	(-)18.26	..	..	...	..	..	..	18.84
Punjab	..	..	...	..	..	...	..	...	..	1605.03
Tripura	(-)2.23	(-)9.83	(-)1.41	(-)1.47	(-)6.27	(-)0.19	..	...	..	..

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 1994, against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration as revealed in the accounts of that year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State in the financial year commencing on the 1st day of April, 1993 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1990.

SHANKER DAYAL SHARMA,
President,

[F.No. 19(2) 194-L.I.]
K.L. MOHANPURIA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994